## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

**पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.**

मुकदमा नम्बरः—8/2022 (2022/16) वाद पत्र

**अनवान**

1—गणपतसिंह पिता मेहताबसिंह राजपूत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—जालमसिंह पिता मेहताबसिंह राजपूत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—नरपतसिंह पिता मेहताबसिंह राजपूत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—सुगनकंवर बेवा मेहताबसिंह राजपूत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**वादीगण**

**बनाम**

1—गिरधारीसिंह पिता भोपालसिंह राजपूत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—धूलकंवर बेवा भोपालसिंह राजपूत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—लादुसिंह पिता भोपालसिंह राजपूत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**प्रतिवादीगण**

### प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. सुनिल बापना — अधिवक्ता वादीगण
2. फारूख मोहम्मद — अधिवक्ता प्रतिवादीगण

## निर्णय

दिनांकः—07.04.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की खाता 27 में वर्णित आराजी संख्या 129 रकबा 1.16 है0 अन्य आराजियात के साथ दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 वाद पत्र के साथ प्रस्तुत की है। उक्त वर्णित आराजी संख्या 129 रकबा 1.16 हेक्टेयर से विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 3 का कोई लेना देना नहीं है लेकिन विपक्षीगण ताकत के बल पर प्रार्थीगण की उक्त वर्णित कृषि आराजीयात को बर्बाद करना चाहते हैं जिसका की कानूनन विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 03 को कोई हक व अधिकार नहीं है। इस हेतु विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 03 ने ताकत के बल पर दिनांक 28/10/2021 को प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजी मे अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर पत्थर डलवा दिये और अतिशीघ्र रेत व सिमेन्ट डलवाकर वादीगण की उक्त वर्णित आराजी मे निर्माण करने पर आमादा हैं। जिसका कि विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 3 को कोई हक व अधिकार नहीं है। विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 03 ने प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजियात मे अनाधिकृत प्रवेश कर दिनांक 28/10/2021 को पत्थर डलवा दिये जिससे प्रार्थीगण को काफी नुकसान हुआ है, वादीगण के मना करने पर भी विपक्षीगण ने मौके पर से पत्थर नहीं हटाये हैं और वादीगण को यह धमकी दी हैं कि वे मौका पाकर अतिशीघ्र वादीगण की उक्त वर्णित आराजियात पर निर्माण करेंगे व अनाधिकृत रूप से आधिपत्य कर लेंगे। विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 03 का प्रार्थीगण की वाद वर्णित कृषि आराजीयात से कोई सरोकार नही होते हुए भी विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 03 प्रार्थीगण की आराजीयात् मे नाजायज रूप से दलखअन्दाजी करते हैं [illegible] देते और नाजायज रूप से प्रार्थीगण की आराजी में पत्थर डालकर निर्माण करने पर आमादा हैं और प्रार्थीगण [illegible] करने पर मरने मारने पर उतारू हो जाते है इसलिये प्रार्थीगण विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 03 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है इस सबब यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने की नौबत

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:11:29 IST
Reason: SelfAttested

आई है। अत प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि बहक प्रार्थीगण विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 उक्त वादवर्णित कृषि आराजियात में किसी प्रकार की दंखलदांजी नही करें न ही उक्त आराजी में नाजायज रूप से प्रवेश कर निर्माण ही करे एवं प्रार्थीगण को शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें एवं विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा वादीगण की आराजी में डाले गये पत्थर को अपने खर्चे से उठा लेवें। यदि दौराने वाद विपक्षी संख्या 1 से 3 प्रार्थीगण की आराजी में अनाधिकृत रूप से निर्माण कर लेवे तो ऐसे निर्माण को विपक्षीगण के खर्चे से हटवाया जाकर पुनः प्रार्थीगण को कब्जा कराने की डिकी बहक प्रार्थीगण विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 सादिर फरमाई जावे।

प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित जिन्होने यह अवगत कराया कि विपक्षी ग्राम गाडरीखेड़ा की आराजी संख्या 130 के खातेदार है उसमें प्रार्थीगण दखलदांजी करते है जिसे प्रार्थीगण को भी पांबद किये जावे कि विपक्षीगण की आराजी में वो दखल नही करे और हम विपक्षीगण भी प्रार्थीगण की आराजी में दखल नही करेंगे। इसी अनुसार प्रकरण का निस्तारण करने में दोनो अधिवक्ताओ द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

मैने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया तो प्रार्थीगण ग्राम गाडरीखेड़ा की आराजी संख्या 129 के खातेदार है जिस पर विपक्षीगण द्वारा दखल करने पर वाद पेश किया गया है। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित होकर निवेदन किया कि हम प्रार्थीगण की आराजियात पर कब्जा नही कर रहे है बल्कि प्रार्थीगण विपक्षी की खातेदारी आराजी संख्या 130 पर कब्जा करते है जिससे प्रार्थीगण को भी पांबद किया जावे। प्रकरण में कोई विशेष विवादित बिन्दु नही है दोनो पक्ष अपनी अपनी खातेदारी भूमि में दखल नही चाहते है दोनो पक्षो के मध्य सीमाज्ञान के अभाव में एकदुसरे की भूमि में दखल मान रहे है। इसके निस्तारण के लिये दोनो पक्ष स्वतंत्र है कि अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / पत्थरगढ़ी करावे और जहां अपनी सीमा निर्धारित हो उसके आगे कोई भी पक्ष किसी भी पक्ष की भूमि दखल नही करे इसी अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित है।

## आदेश

अतः प्रार्थीगण का वाद पत्र एवं विपक्षी अधिवक्ता द्वारा पत्रावली में दर्ज आराजी संख्या 130 में दंखल नही करने बाबत् मौखिक काउन्टर क्लेम किया जिससे स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष को पांबद किया जाता है कि ग्राम गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी मे स्थित आराजी संख्या 129 रकबा 1.16 है0 भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रकार्ड है जिस पर विपक्षीगण किसी प्रकार नाजायज दखलदांजी नही करे। इसी तरह ग्राम गाडरीखेड़ा में स्थित विपक्षीगण के नाम दर्ज आराजी संख्या 130 रकबा 1.17 है0 भूमि पर प्रार्थीगण दंखलदांजी नही करे। उभयपक्ष निर्णय से पांबद रहेंगे। इसी अनुसार डिकी जारी हो खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

7/4/2022

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:11:29 IST
Reason: SelfAttested

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा